



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2011/ज्येष्ठ 13, 1933

No. 294]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2011/JYAISTHA 13, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2011

सा.क्रा.नि. 430(अ).— केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 1956, (1956 का 1) की धारा 233 ख की उपधारा (4) तथा धारा 227 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लागत लेखा रिपोर्ट नियम, 2001 के अधिक्रमण में सिताय उन चीजों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं अथवा किए जाने के लिए विलोपित की गई हैं, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ --- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लागत लेखा रिपोर्ट) नियम, 2011 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे-
2. परिभाषाएं और व्याख्याएं— इन नियमों में जब तक अन्यथा इस प्रकार का उपबंध न किया गया हो,—
(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) अभिप्रेत है;

- (ख) "लागत लेखाकार" से लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए अधिनियम की धारा 233 ख की उपधारा (2) के अंतर्गत नियुक्त कोई लेखा परीक्षक अभिप्रेत है ;
- (ग) "प्रपत्र-I" से इलेक्ट्रॉनिक रूप में केन्द्र सरकार के पास लागत लेखा रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज दायर करने हेतु इन नियमों में निर्धारित प्रपत्र अभिप्रेत है.
- (घ) "प्रपत्र-II" से लागत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का प्रपत्र अभिप्रेत है और उसमें लेखा परीक्षक की समुक्तियां तथा सुझाव एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध शामिल है;
- (ङ) "प्रपत्र - III" से निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रपत्र अभिप्रेत है । ;
- (च) "उत्पाद" से कोई मूर्त या अमूर्त वस्तु, सामग्री, पदार्थ, मद, विचार, जानकारी, पद्धति, सूचना, ध्येय, रोवा आदि अभिप्रेत है जो मानवीय, धार्मिक, औद्योगिक, रासायनिक अथवा प्राकृतिक कार्य, प्रक्रिया, क्रियाविधि, कार्यकलाप, संकार्य, तकनीक या उपचार का परिणाम है और जो उपयोग, खपत, विक्रय, परिवहन, भंडारण, सुपुर्दगी या निपटान के लिए उद्दिष्ट है ।
- (छ) मूर्त उत्पादों के संबंध में "उत्पाद समूह" से ऐसे राज्यातीय तथा समान उत्पादों का एक समूह अभिप्रेत है जिस समान या समनुरूप उत्पादन प्रणाली का उपयोग करते हुए समान कच्ची सामग्री से तैयार किया गया है और जिसमें समान भौतिक अथवा रासायनिक विशेषताएं तथा भांग की समान इकाई है और जिसके समान या समनुरूप कार्य अथवा अनुप्रयोग हैं; और अमूर्त उत्पादों के संबंध में राज्यातीय अथवा ऐसे समनुरूप उत्पादों अथवा सेवाओं का कोई समूह अभिप्रेत है जिसे समान या समनुरूप प्रक्रिया अथवा विधित्तियों के उपयोग से तैयार किया गया है, जिसमें समान विशेषताएं तथा भांग की समान इकाई और जिसके समान या समनुरूप कार्य या अनुप्रयोग हैं ।
- (ज) "रिपोर्ट" से लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के निर्धारित प्रपत्र में लागत लेखा परीक्षक द्वारा विहित लेखा परीक्षण तथा हस्तक्षरित लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट अभिप्रेत है ।

(झ) इन नियमों में प्रयुक्त परंतु परिभाषित न किए गए और अधिनियम तथा अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) तथा धारा 233 ख की उपधारा (4) के अंतर्गत बनाए गए नियमों में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जैसा कि अधिनियम या नियम, जैसा भी मामला हो में उन्हें प्रदान किया गया है ।

3. लागू होना - (1) ये नियम ऐसी प्रत्येक कंपनी को लागू होंगे जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 233 ख की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों में लेखा परीक्षा करने का आदेश दिया गया है ।

(2) उप नियम (1) में यथानिर्दिष्ट कोई कंपनी प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत के नब्बे दिन के भीतर निर्धारित प्रपत्र में कंपनी (आवेदन पर शुल्क) नियम, 1999 के अनुसार निर्धारित शुल्क तथा अपेक्षित संलग्नकों के साथ इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से लागत लेखाकार की नियुक्ति हेतु पूर्व अनुमोदन मांगते हुए केन्द्र सरकार के पास एक आवेदन दायर करेगी ।

(3) उप नियम (2) के अंतर्गत नियुक्त प्रत्येक लागत लेखाकार नियुक्ति पत्र की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अपेक्षित संलग्नकों के साथ निर्धारित प्रपत्र में इलैक्ट्रॉनिक पद्धति के जरिए केन्द्र सरकार को अपनी नियुक्ति की सूचना देगा ।

(4) किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक कंपनी और प्रत्येक लागत लेखाकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्र सं. 15/2011 (फारस. 52/5/सीएबी-2011) दिनांक 11 अप्रैल, 2011 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा ।

4. रिपोर्ट का प्रपत्र- (1) प्रत्येक लागत लेखाकार जो कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करता है, निर्धारित प्रपत्र में केन्द्र सरकार को लेखा परीक्षक की समुचितियों और सुझावों तथा अनुभव के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और साथ ही साथ ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति कंपनी को भेजेगा ।

(2) अप्रैल, 2012 के प्रथम दिन को या उसके बाद प्रस्तुत लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट इन नियमों में निर्धारित प्रपत्र में होगी भले ही कंपनी जिससे यह रिपोर्ट संबंधित है, का वित्त वर्ष कोई भी हो ।

(3) नियम 3 के उपनियम (1) में यथानिर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी प्रत्येक इकाई और प्रत्येक उत्पाद अथवा प्रत्येक उत्पाद समूह में शामिल कार्यकलाप के लिए लागत

- ब्यौरों, विवरणों, अनुसूचियों आदि को रखेगी और उनका अनुरक्षण करेगी जो कंपनी के कम से कम 2 निदेशकों और लागत लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित होगी ।
- (4) किसी वित्त वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती 8 वित्त वर्षों से अनधिक अवधि के संबंध में अथवा जहां कंपनी 8 वर्ष से कम की अवधि से विद्यमान है, वहां सभी पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में उप नियम (3) में यथानिर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी के लागत ब्यौरे, विवरण, अनुसूचियां आदि बेहतर स्थिति में रखे जाएंगे ।
- (5) प्रत्येक लागत लेखाकार जो उप नियम (1) के अंतर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, निर्धारित प्रपत्र में कंपनी के बोर्ड/लेखा परीक्षा समिति को लागत लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा ।
- (6) प्रत्येक लागत लेखाकार जो उपनियम (1) के अंतर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ऐसे स्पष्टीकरणों की मांग करते हुए उसे संबोधित पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर उसके द्वारा प्रस्तुत लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षित स्पष्टकरण, यदि कोई हो, भी देगा ।
5. रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा— प्रत्येक लागत लेखा परीक्षक नियम 4 के उपनियम (1) में उल्लिखित अपनी रिपोर्ट जिस वित्त वर्ष से रिपोर्ट संबंधित है, कंपनी के उस वित्त वर्ष की समाप्ति से एक सौ अस्सी दिन के भीतर केन्द्र सरकार तथा संबंधित कंपनी को प्रस्तुत करेगा ।
6. लागत लेखा परीक्षक के समक्ष लागत लेखा रिकॉर्ड आदि प्रस्तुत किए जाएंगे— अधिनियम की धारा 233 ख की उपधारा (4) के अंतर्गत लेखा परीक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना कंपनी और उसका प्रत्येक अधिकारी जिसमें अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (6) में उल्लिखित व्यक्ति शामिल हैं, लागत लेखा परीक्षक को ऐसे लागत लेखा अभिलेख, लागत विवरण, अन्य बहियां एवं दस्तावेज तथा रिपोर्ट का अनुबंध जो विधिवत पूर्ण है, उपलब्ध कराएगा जैसा कि लागत लेखा परीक्षा करने के लिए अपेक्षित हो और वह लागत लेखा परीक्षक को ऐसी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा ताकि वह लागत लेखा परीक्षा पूर्ण कर सके और नियम 5 में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके ।
7. लागत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध का अधिप्रमाणन— लागत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ निर्धारित अनुबंध उक्त लेखा परीक्षक द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया

जाएगा । लागत लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित अनुबंध पर कंपनी सचिव और कंपनी की ओर से कम से कम एक निदेशक द्वारा हस्ताक्षर भी किए जाएंगे । कंपनी में कंपनी सचिव की अनुपस्थिति में उस पर कम से कम दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

8. शास्ति — (1) यदि नियम 4 अथवा नियम 5 के उपबंधों के अनुपालन में लागत लेखा परीक्षक द्वारा कोई चूक की जाती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो पांच हजार रूपए तक हो सकता है ।

(2) यदि कोई कंपनी इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करती है तो कंपनी और प्रत्येक अधिकारी जो चूक करता है, जिसमें अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (6) में उल्लिखित व्यक्ति भी शामिल हैं, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (5) और (7) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (2) और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 233 ख की उप-धारा (ii) में किए गए उपबंध के अनुसार दंडनीय होगा ।

9. व्यावृत्ति— (1) लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट नियम 2001 के अधिकमण से निम्नलिखित पर किसी भी रूप में प्रभाव नहीं पड़ेगा —

- (क) इसके अंतर्गत अर्जित, उद्भूत या उत्पन्न कोई अधिकार, दायित्व या देनदारी;
- (ख) इसके अंतर्गत किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में उद्भूत कोई शास्ति, जब्ती या दंड; तथा
- (ग) उपर्युक्तानुसार ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देनदारी, शास्ति, जब्ती या दंड के संबंध में कोई जांच, लीगल कार्यवाही या राहत, और संस्थापित की जाने वाली, जारी रखे जाने वाली या प्रवृत्त की जाने वाली ऐसी कोई जांच, विधिक कार्यवाही अथवा राहत तथा लगाया जाने वाला ऐसा कोई जुर्माना, जब्ती, या दंड मानो कि इन नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया था ।

[फा. सं. 52/10/सीएबी-2010]

बी. बी. गोयल, सलाहकार (लागत)

प्रपत्र-1	केन्द्र सरकार को लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज दाखिल करने के लिए प्रपत्र
[कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 ख (4), 600(3)(ख) और कंपनी (लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट) नियम, 2011 के नियम 2 के अनुसरण में]	

भाग 1 – सामान्य सूचना

टिप्पणी: * पर उल्लिखित सभी क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से भरा जाना है ।

- 1 (क) *कारपोरेट पहचान सं (सीआईएन) या कंपनी की विदेशी कंपनी पंजीकरण सं. पहले से भरा हुआ
- (ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति सं. (जी एल एन)
- 2 (क) *कंपनी का नाम
- (ख) *कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा भारत में कारोबार के प्रमुख स्थान का पता
- (ग) *कंपनी का ई-मेल पता
- 3 (क) *वित्त वर्ष से (दिन/माह/वर्ष)
तक (दिन/माह/वर्ष)
- (ख) *निदेशक मंडल की उस बैठक की तारीख जिसमें लागत परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध अनुमोदित किया गया था (दिन/माह/वर्ष)
- 4 (क) *उन उत्पाद समूहों की संख्या बताएं जिनके लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है ।
- (ख) कंपनी के ऐसे उत्पाद समूहों का ब्यौरा (खानों की संख्या उपर्युक्त 5 (क) के अनुसार)
- | उत्पाद समूह का नाम | शामिल प्रमुख उत्पाद/कार्यकलाप |
|----------------------|-------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
- 5 (क) *लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल न किए गए उत्पाद समूहों/कार्यकलापों की संख्या बताएं
- (ख) *कंपनी के ऐसे उत्पाद समूहों का ब्यौरा (खानों की संख्या उपर्युक्त 5 (क) के अनुसार)
- | उत्पाद समूह का नाम | शामिल प्रमुख उत्पाद/कार्यकलाप |
|----------------------|-------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
- 6 लागत लेखा परीक्षक का ब्यौरा
- (क) *लागत लेखा परीक्षक की श्रेणी व्यक्ति

लागत लेखाकार फर्म

(ख) *कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त लागत लेखा परीक्षक अथवा लागत लेखा परीक्षक फर्म का नाम

(ग) *लागत लेखा परीक्षक अथवा लागत लेखा परीक्षक फर्म का आयकर स्थायी खाता संख्या

(घ) *लागत लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या अथवा *लागत लेखा परीक्षक फर्म की पंजीकरण संख्या

(ड) *लागत लेखा परीक्षक अथवा लागत लेखा परीक्षक फर्म का पता

(i) लाइन I

लाइन II

(ii) नगर

(iii) राज्य

(iv) देश

(v) पिन कोड

(च) *लागत लेखा परीक्षक अथवा लागत लेखा परीक्षक फर्म का ई-मेल

7 (क) * क्या लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई अर्हताएं अथवा प्रतिकूल अभ्यक्तियां निहित हैं ।

हा

नहीं

(ख) * यदि हां, तो कृपया अर्हताएं, आपत्तियों और/अथवा प्रतिकूल अभ्यक्तियों का उल्लेख करें

8 (क) * क्या लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई समुक्तियां अथवा सुझाव निहित हैं

हा

नहीं

(ख) * यदि हां, तो कृपया समुक्तियों और/अथवा सुझावों का उल्लेख करें

भाग-II

अनुलग्नक:

- 1 कंपनी (लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट) नियम, 2011 के अनुसार लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट
- 2 वैकल्पिक अनुलग्नक -यदि कोई हो

संलग्न

संलग्न

अनुलग्नकों की सूची

अनुलग्नक हटाएं

सत्यापन:

भेरी सार्गेतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्रपत्र और इसके अनुलग्नकों में दी गई सूचना सही और पूर्ण है।

मुझे निदेशक मंडल के सकल्प सं. द्वारा इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

दिनांक

(दिन/माह/वर्ष)

मैंने इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

डिजिटल हस्ताक्षर हेतु:

प्रवक्ता निदेशक या निदेशक या प्रवक्ता या सचिव (भारतीय कंपनी के मामले में)

अथवा कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि (किसी विदेशी कंपनी के मामले में)

डिजिटल हस्ताक्षर

*पहचान

*निदेशक अथवा प्रवक्ता निदेशक की निदेशक पहचान सं., अथवा प्रवक्ता या प्राधिकृत प्रतिनिधि का आयकर पी ए एन अथवा सदस्यता संख्या, यदि लागू हो अथवा सचिव का आयकर पी ए एन (ऐसी कंपनी का सचिव जो आई सी एस आई का सदस्य नहीं है, अपना आयकर पी ए एन उद्धृत करें)

कंपनी का निदेशक

डिजिटल हस्ताक्षर

निदेशक के निदेशक पहचान संख्या

*लागत लेखा परीक्षा

डिजिटल हस्ताक्षर

यह एगोसिग्रेट अथवा फिलो है

एगोसिग्रेट

फिलो

संलग्नक संख्या

संशोधित करें

प्रपत्र की जांच करें

संवीक्षा पूर्व

प्रस्तुत करें

यह ई-प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक तरीके से केन्द्र सरकार द्वारा रखी गई फाईल के अनुसार और दायरकर्ता कंपनी द्वारा प्रदत्त सत्यता विवरण के आधार पर लिया गया है

प्रपत्र-II

लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट का प्रपत्र

[देखें नियम 2 तथा नियम 6]

मैंने/हमने कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), की धारा 233 ख के अधीन (कंपनी का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय (कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते का उल्लेख करें) (जिसो एतदपश्चात कंपनी कहा गया है) है, के लागत लेखापरीक्षक नियुक्त होने के बाद अवधि/वर्ष (वित्त वर्ष का उल्लेख करें) के लिए उक्त अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत निर्धारित लेखा बहियों तथा (उत्पाद समूह/समूहों के नाम (मौ) का उल्लेख करें) के संबंध में कंपनी द्वारा रखे गए अन्य संगत अभिलेखों की लेखा परीक्षा की है और पैरा 2 में उल्लिखित मेरी/हमारी समुक्तियों तथा सुझावों के अलावा रिपोर्ट करता हूँ/करते हैं

- (i) मुझे/हमें वह समस्त सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं/नहीं हुए हैं जो मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस इस लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे ।
- (ii) मेरी/हमारी राय में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत निर्धारित कंपनी (लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट) नियम, 2011 के अनुसार उचित लागत अभिलेख कंपनी द्वारा रखे गए हैं/नहीं रखे गए हैं ताकि कंपनी के संदर्भाधीन उत्पाद/कार्यकलाप समूहों के उत्पादन/संकार्य लागत, बिक्री लागत तथा मार्जिन की सही और उचित स्थिति प्राप्त हो सके ।
- (iii) मेरी/हमारी राय में लागत लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ मेरे/हमारे द्वारा दौरा न की गई शाखाओं से पर्याप्त उचित विवरणियां प्राप्त हुई हैं/प्राप्त नहीं हुई हैं ।
- (iv) मेरी/हमारी राय में और मेरी/हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार उक्त बहियों तथा अभिलेखों से कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित ढग से सूचना प्राप्त होती है/प्राप्त नहीं होती है ।
- (v) मेरी/हमारी राय में उक्त बहियां तथा अभिलेख भारतीय लागत एवं निर्माण लेखाकार संस्थान द्वारा जारी और लागत लेखा मानकों से उस सीमा तक अनुरूप हैं/अनुरूप नहीं हैं जिस सीमा तक उन्हें संगत और प्रयोज्य पाया गया है ।
- (vi) मेरी/हमारी राय में कंपनी के पास लागत अभिलेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा की ऐसी उचित प्रणाली है/नहीं है जो मेरी/हमारी राय में इसके व्यापार और आकार के अनुरूप है ।
- (vii) कंपनी में कंपनी के संदर्भाधीन उत्पाद समूहों/कार्यकलापों के संबंध में मेरे/हमारे द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित तथा सत्यापित विस्तृत इकाईवार तथा उत्पाद/कार्यकलाप-वार लागत विवरण और उनकी अनुसूचियां रखी गई हैं/नहीं रखी गई हैं
- (viii) कंपनी (लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट) नियम, 2011 के उपबंधों के अंतर्गत अपेक्षानुसार मैंने/हमने निर्धारित प्रपत्र में कंपनी को निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

2. लागत लेखा परीक्षा के लिए समत लागत लेखा परीक्षक की समुक्तियां तथा सुझाव, यदि कोई हों।

दिनांक : (इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के स्थान के नाम का उल्लेख करें) मे वर्ष के माह का दिन

लागत लेखा परीक्षक (को) के हस्ताक्षर एवं मुहर

टिप्पणी:

- (1) जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दे ।
- (2) यदि लेखा बहियों की जाच के परिणामस्वरूप लागत लेखाकार कोई वास्तविक कमी का उल्लेख करना चाहता है या योग्य रिपोर्ट देना चाहता है तो वह उसके सक्षम आई विवरणियों का ब्यौरा देते हुए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के निर्धारित प्रपत्र में केवल समत पैरा (i) से (viii) के सामने उसका उल्लेख कर सकेगा ।
- (3) इस पैराग्राफ में लागत लेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट, सुझाव, समुक्तियां तथा निष्कर्ष सत्यापित आंकड़ों पर आधारित होंगे जिसका संदर्भ यहां दिया जाएगा और जब कभी व्यवहार्य होगा, उन्हें कंपनी को उन पर टिप्पणी देने का अवसर प्रदान किए जाने के बाद शामिल किया जाएगा ।

लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

(नियम 2 और नियम 6 देखें)

1. सामान्य सूचना

1. कंपनी की सी आई एन या जी एल एन :
2. कंपनी का नाम
3. पंजीकृत कार्यालय का पता:
4. कारपोरेट कार्यालय का पता:
5. कंपनी का ई-मेल पता:
6. कंपनी का वित्त वर्ष जिससे लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबंधित है :
7. लागत लेखाकार (सौ) का नाम, पता, सदस्यता संख्या और ई-मेल ।
8. फेडरल सरकार के पास प्रपत्र 23 ग दायर करने की तारीख और उसकी एस आर एन संख्या ।
9. निदेशक मंडल की बैठक की तारीख जिसमें लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध अनुमोदित किया गया था ।
10. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की तिथि और लागत लेखाकार की उपस्थिति ।

2. लागत लेखा नीति

(1) प्रत्येक उत्पाद/कार्यकलाप समूह के लिए अलग से संदर्भाधीन उत्पाद/कार्यकलाप समूह की उत्पादन/संकार्य लागत, विक्रय लागत, प्राप्ति लागत और मार्जिन का सही निर्धारण हेतु कंपनी (लागत लेखा अभिलेख) नियम, 2011, कंपनी (लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट) नियम, 2011, लागत लेखा मानकों और उनकी पर्याप्तता का उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा अपनाई गई लागत लेखा नीति का रक्षक से उल्लेख किया जाए । इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होने चाहिए:

(क) प्रत्येक उत्पाद/कार्यकलाप समूह तथा लागत संचालकों की पहचान ।

- (ख) पैकिंग सामग्री, भंडार एवं पुर्जे आदि, कर्मचारी लागत, उपयोगिताओं तथा अन्य संगत लागत संघटकों सहित वास्तविक लागत का लेखांकन ।
- (ग) ऊपरी खर्चों का लेखांकन, आबंटन और आमेलन ।
- (घ) मूल्यहास/ऋण स्थगन का लेखांकन ।
- (ङ) सह-उत्पादों/संयुक्त उत्पादों, छीलन, अपशिष्ट आदि का लेखांकन।
- (च) मालसूची मूल्यांकन का आधार ।
- (छ) अंतर इकाई/अंतर कंपनी तथा संबद्ध पक्षकार के लेनदेनों के मूल्यांकन की कार्य प्रणाली ।
- (ज) अन्य लागतेत्तर मदों सहित असामान्य तथा अनावर्ती लागतों का व्यवहार । ।
- (झ) यदि कंपनी ने आई एफ आर एस अपनाया है तो वित्तीय लेखांकनों में आई एफ आर एस को अपनाने से उत्पन्न हुए लागत लेखांकन के व्यवहार में अंतर (यदि कोई हो)।
- (ट) कंपनी द्वारा अपनाई गई अन्य संगत लागत लेखा नीति ।
- (2) पूर्ववर्ती वित्त वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा के अंतर्गत उत्पाद/कार्यकलाप समूह के लिए लागत लेखा नीति में किए गए परिवर्तनों (यदि कोई हो) का संक्षेप में उल्लेख करें ।
- (3) कंपनी द्वारा अपनाई गई बजटीय नियंत्रण प्रणाली, यदि कोई हो, की पर्याप्तता अथवा अन्यथा के बारे में लागत लेखा परीक्षक की समुक्तियां ।

3. उत्पाद समूह का ब्यौरा (समग्र कंपनी के लिए)

क.सं.	प्रत्येक उत्पाद समूह का नाम	उत्पाद समूह में शामिल उत्पादों/कार्यकलापों के नाम	निवल विक्रय (करों, शुल्कों आदि को छोड़कर) (लाख रु.)	लागत लेखा परीक्षा में शामिल (हां/नहीं)
क	विनिर्मित उत्पाद समूह			
	1.			
	2.			
	3.			
	4. आदि			
	उप-जोड़ (क)			
ख.	सेवा समूह			
	1.			
	2.			
	3.			
	4. आदि			
	उप-जोड़ (ख)			
ग	व्यापार कार्यकलाप (उत्पाद समूहवार)			
	1.			
	2.			
	3.			
	4. आदि			
	उप-जोड़ (ग)			
घ	अन्य आय			
ड.	लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कुल आय (क + ख + ग + घ)			

टिप्पणी:

- विनिर्मित उत्पाद समूहों के लिए उसी नामावली का उपयोग करें जिसका उपयोग यथाप्रयोज्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम तथा नियम में किया गया है ।
- सेवा समूहों के लिए उसी नामावली का उपयोग करें जिसका उपयोग वित्त अधिनियम / केन्द्रीय सेवा कर नियम में किया गया है ।

4. मात्रात्मक सूचना (प्रत्येक उत्पाद समूह के लिए अलग-अलग)

कंपनी का नाम			
उत्पाद समूह का नाम			
उत्पाद समूह में शामिल उत्पादों का नाम			
वित्त वर्ष	— से — तक		
विवरण	इकाई	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. उपलब्ध क्षमता			
(क) स्थापित क्षमता			
(ख) वर्ष के दौरान संवर्धित क्षमता, यदि कोई हो			
(ग) पट्टा व्यवस्था, यदि कोई हो के जरिए उपलब्ध क्षमता			
(घ) ऋण लाइसेंस/ तीसरे पक्षकारों के जरिए उपलब्ध क्षमता			
(ङ) कुल उपलब्ध क्षमता			
2. वास्तविक उत्पादन			
(क) स्वतः विनिर्मित			
(ख) पट्टा व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित			
(ग) ऋण लाइसेंस/ तीसरे पक्षकारों द्वारा उजरती कार्य पर उत्पादित			
(घ) कुल उत्पादन			
3. उत्पाद शुल्क अभिलेखों के अनुसार उत्पादन			
4. क्षमता उपयोग (इन हाऊस)			
5. व्यापार हेतु खरीदा गया स्टॉक			
(क) घरेलू खरीद			
(ख) आयात			
(ग) कुल खरीद			
6. स्टॉक एवं अन्य समायोजन			
(क) तैयार वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन			
(ख) स्वतः/आबद्ध खपत (नमूनों आदि सहित)			
(ग) अन्य मात्रात्मक समायोजन, यदि कोई हो (अपशिष्ट आदि)			
(घ) कुल समायोजन			
7. बिक्री के लिए कुल उपलब्ध मात्रा (2 (ङ)+ 5 (ग)-6 (घ))			
8. वास्तविक विक्रय			
(क) घरेलू विक्रय (विनिर्माण)			
(ख) घरेलू विक्रय (व्यापार)			
(ग) निर्यात विक्रय (विनिर्माण)			
(घ) निर्यात विक्रय (व्यापार)			
(ङ) विक्रय की गई कुल मात्रा			

5. संक्षिप्त लागत विवरण (प्रत्येक उत्पाद समूह के लिए अलग-अलग)							
क्र. सं.	विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रु.)	राशि (रु.)	दर प्रति इकाई (रु.)	
						चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1	खपत की गई सामग्री (ब्यौरे निर्दिष्ट करें) (क) स्वदेशी रूप से कीत (ख) आयातित (ग) स्वतः विनिर्मित/उत्पादित						
2	प्रक्रिया सामग्री/रसायन (निर्दिष्ट करें)						
3	उपयोगिताएं (ब्यौरे निर्दिष्ट करें)						
4	प्रत्यक्ष कर्मचारी लागत						
5	प्रत्यक्ष व्यय						
6	खपत योग्य भंडार व पुर्जे						
7	मरम्मत व रखरखाव						
8	गुणवत्ता नियंत्रण व्यय						
9	अनुसंधान व विकास व्यय						
10	तकनीकी जानकारी शुल्क/रॉयल्टी यदि कोई हो						
11	मूल्य ह्रास/ऋण स्थगन						
12	उत्पादन संबंधी अन्य ऊपरी व्यय						
13	योग (1 से 12)						
14	जोड़े/घटाएं: प्रगति पर कार्य समायोजन						
15	घटाएं: वसूलियों के ऋण यदि कोई हो						
16	प्राथमिक पैकिंग लागत						
17	उत्पादन/संकार्य लागत (12+ 13 से 17)						
18	तैयार वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि/कमी						
19	घटाएं : स्वतः/आबद्ध खपत (नमूने आदि सहित)						
20	अन्य समायोजन (यदि कोई हो)						
21	विक्रीत वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन/संकार्य की लागत (17+ 18 से 20)						
22	प्रशासनिक ऊपरी व्यय						
23	गौण पैकिंग लागत						
24	विक्री व वितरण ऊपरी व्यय						
25	व्याज व वित्तपोषण प्रभार						
26	विक्रय लागत (21+ 22 से 25)						
27	निवल बिक्री प्राप्ति (करों व शुल्कों को छोड़कर)						
28	मार्जिन (लागत लेखा के अनुसार लाभ/(हानि) (27-26))						
टिप्पणियां:							
1. प्रत्येक उत्पाद/कार्यकलाप समूह के लिए अलग से लागत विवरण तैयार किया जाएगा ।							
2. प्रपत्र में प्रदर्शित लागत मदें सांकेतिक हैं और इन्हें उत्पाद/कार्यकलाप समूह में लागत की मद की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए उपदर्शित किया जाना चाहिए ।							
3. उद्योग/उत्पाद/कार्यकलाप समूह की अपेक्षा की पूर्ति हेतु प्रपत्र में उचित संशोधन किया जाए ।							
4. यदि कंपनी कोई पूर्व निर्धारित अथवा मानक लागत प्रणाली का अनुपालन करती है तो उक्त लागत विवरण में परिवर्तनों, यदि कोई हो, के समायोजनों के बाद वास्तविकता के अनुसार आंकड़े प्रदर्शित किए जाने चाहिए							

6. संकार्य अनुपात विश्लेषण (प्रत्येक उत्पाद समूह के लिए अलग-अलग)

क.सं.	विवरण	इकाई	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष-1	पूर्ववर्ती वर्ष-2
विक्रय लागत में संकार्य व्यय का अनुपात					
1	समग्री (प्रसंस्करण सामग्री सहित) लागत	%			
2	उपयोगिता लागत	%			
3	प्रत्यक्ष कर्मचारी लागत	%			
4	प्रत्यक्ष व्यय	%			
5	खपत योग्य भंडार व पुर्जे	%			
6	मरम्मत व रखरखाव लागत	%			
7	मूल्यहारा/ऋण स्थगन लागत	%			
8	पैकिंग लागत	%			
9	अन्य व्यय	%			
10	स्टॉक समायोजन	%			
11	उत्पादन ऊपरी व्यय	%			
12	प्रशासनिक ऊपरी व्यय	%			
13	विक्री व वितरण ऊपरी व्यय	%			
14	व्याज व वित्तपोषण प्रभाग	%			
15	योग	%			

7. लाभ समाशोधन (समग्र कंपनी के लिए)				
क सं.	विवरण	चालू वर्ष	प्रथम पूर्ववर्ती वर्ष	द्वितीय पूर्ववर्ती वर्ष
1	लागत लेखा अभिलेखों के अनुसार लाभ या हानि			
	(क) लेखा परीक्षित उत्पाद समूहों के लिए			
	(ख) अलेखा परीक्षित उत्पाद समूहों के लिए			
2	जोड़े: लागत लेखा में अविचारित आय			
	(क) (निर्दिष्ट करें)			
	(ख)			
	(ग)			
	(घ)			
	(ङ.)			
3	घटाएं: लागत लेखा में अविचारित व्यय			
	(क) (निर्दिष्ट करें)			
	(ख)			
	(ग)			
	(घ)			
	(ङ)			
4	जोड़े: वित्तीय लेखों में अतिम स्टॉक का अधिक मूल्यांकन			
5	जोड़े: वित्तीय लेखों में अथ स्टॉक का कम मूल्यांकन			
6	घटाएं: वित्तीय लेखों में अतिम स्टॉक का कम मूल्यांकन			
7	घटाएं: वित्तीय लेखों में अथ स्टॉक का अधिक मूल्यांकन			
8	अन्य, यदि कोई हो, के लिए समा योजना (निर्दिष्ट करें)			
9	वित्तीय लेखों के अनुसार लाभ या हानि			

8. मूल्यवर्धन और आय का वितरण (समग्र कंपनी के लिए)

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष-1	पूर्ववर्ती वर्ष-2
	मूल्य वर्धन			
1.	सकल विकय (आय को छोड़कर)			
2	घटाएं : उत्पाद शुल्क आदि			
3	निवल बिक्री			
4	जोड़ें : निर्यात प्रोत्साहन			
5	जोड़ें/घटाएं: तैयार स्टॉक में समायोजन			
6	घटाएं: कृत निविष्टियों की लागत			
	(क) खपत की गई सामग्री की लागत			
	(ख) प्रसंस्करण सामग्री/रसायन			
	(ग) भंडार/पुर्जों की खपत			
	(घ) उपयोगिताएं (यथा विद्युत व ईंधन)			
	(ड.) अन्य यदि कोई हो			
	कृत निविष्टियों की कुल लागत			
7	मूल्य वर्धित			
8	जोड़ें: किसी अन्य स्रोत से आय			
9	वितरण हेतु उपलब्ध आय			
	निम्नलिखित को आय का वितरण			
1	कर्मचारि यों को वेतन व मजदूरी, सेवा निवृत्ति लाभ आदि के रूप में			
2	शेयरधारकों को लाभांश के रूप में			
3	कंपनी को प्रतिधारित निधियों के रूप में			
4	सरकार को करों के रूप में (निर्दिष्ट करें)			
5	अन्य, यदि कोई हों (निर्दिष्ट करें)			
	आय का कुल वितरण			

9. वित्तीय स्थिति और आनुपातिक विश्लेषण (समग्र कंपनी के लिए)

क.सं.	विवरण	इकाई	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष-1	पूर्ववर्ती वर्ष-2
क.	वित्तीय स्थिति				
1	प्रदत्त पूंजी	रु./लाख			
2	आरक्षित निधि व अधिशेष	रु./लाख			
3	ऋण (प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत)	रु./लाख			
4	(क) सकल नियत परिसंपत्तियां	रु./लाख			
	(ख) निवल नियत परिसंपत्तियां	रु./लाख			
5	(क) कुल चालू परिसंपत्ति	रु./लाख			
	(ख) घटाएं : वर्तमान देनदारी एवं प्राक्धान	रु./लाख			
	(ग) निवल वर्तमान परिसंपत्ति यां	रु./लाख			
6	लगाई गई पूंजी	रु./लाख			
7	निवल मूल्य	रु./लाख			
ख.	वित्तीय निष्पादन				
1	उत्पादन लागत	रु./लाख			
2	विक्रय लागत	रु./लाख			
3	निवल बिक्री	रु./लाख			
4	मूल्यवर्धित	रु./लाख			
5	कर-पूर्व लाभ (पी बी आई टी)	रु./लाख			
ग.	लाभप्रदता का अनुपात				
1	लगाई गई पूंजी में पी बी टी (बी5/ए 6)	%			
2	निवल मूल्य में पी बी टी (बी5/ए 7)	%			
3	निवल बिक्री में पी बी टी (बी 5/बी 3)	%			
4	मूल्यवर्धित में पी बी टी (बी 5/बी 4)	%			
घ.	अन्य वित्तीय अनुपात				
1	ऋण-इक्विटी अनुपात	%			
2	चालू देनदारियों में वर्तमान परिसंपत्ति	%			
3	निवल परिसंपत्तियों में मूल्यवर्धित	%			
ड.	कार्यशील पूंजी अनुपात				
1	मूल्यहास को छोड़कर विक्रय लागत में निवल कार्यशील पूंजी	माह			
2	खपत में कच्ची सामग्री का स्टॉक	माह			
3	खपत में भंडार एवं पुर्जे	माह			
4	उत्पादन लागत में प्रगतिशील कार्य का स्टॉक	माह			
5	विक्रय लागत में तैयार वस्तु का स्टॉक	माह			

टिप्पणी :

(1) लगाई गई पूंजी से निवल निर्धारित परिसंपत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियों, नियत परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के प्रभाव तथा चालू पूंजीगत कार्य को छोड़कर) के औसत जमा वित्त वर्ष की शुरुआत और अंत के समय विद्यमान निवल परिसंपत्तियों का औसत अभिप्रेत है ।

(2) निवल मूल्य से शेयरपूंजी जमा आरक्षित निधि और अधिशेष (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर) घटा संचित हानि और अमूर्त परिसंपत्तियां अभिप्रेत हैं ।

10. संबद्ध पक्षकार के साथ लेनदेन (समग्र कंपनी के लिए)

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम व पता	उत्पाद/सेवा समूह का नाम	सौदे का स्वरूप (बिक्रय, खरीद आदि)	मात्रा	अंतरण कीमत	राशि	सामान्य कीमत	सामान्य कीमत के निर्धारण हेतु अंगीकृत आधार
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

टिप्पणी :

- (1) प्रत्येक विक्रय/कय के लिए अलग से ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।
- (2) सामान्य कीमत और उसके आधार को निर्दिष्ट किए बिना संबद्ध पक्षकार के सौदों के ब्यौरों को अधूरी सूचना माना जाएगा ।

11. अप्रत्यक्ष करों का समाशोधन (समग्र कंपनी के लिए)

विवरण	निर्धारणीय मूल्य	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	उप व अन्य	वैट
कूल स्वीकृतियां					
घरेलू					
निर्यात					
स्टॉक अंतरण (निवल)					
अन्य यदि कोई हो					
योग					
संदेय शुल्क/कर					
संदत्ता शुल्क/कर					
प्रयुक्त सेनवेट/वैट ऋण-निविष्टि					
प्रयुक्त सेनवेट/वैट ऋण-पूजीगत वस्तु					
प्रयुक्त सेनवेट/वैट ऋण-निविष्टि सेवा					
प्रयुक्त सेनवेट/वैट ऋण-अन्य					
योग:					

पी एल ए/नकद के जरिए प्रदत्त					
संदत्त कुल शुल्क/कर					
वसूल किया गया शुल्क/कर					
संदत्त और वसूल किए गए शुल्क/करों के बीच अंतर					
संदत्त ब्याज/ शारिस्त/जुर्माना					

हस्ता/—

नाम

लागत लेखा परीक्षक

सदस्यता संख्या

मुहर

दिनांक

हस्ता/—

नाम

कंपनी सचिव/निदेशक

सदस्यता सं/डीआईएन नंबर

मुहर

दिनांक

हस्ता/—

नाम

निदेशक

डीआईएन नं.

मुहर

दिनांक

टिप्पणी :

- (1) लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध के प्रत्येक पैरा में दर्शायी गई किसी मद के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के आकड़ों की तुलना में चालू वर्ष के आकड़ों में किसी खास अंतर होने की स्थिति में लागत लेखा परीक्षक द्वारा कारण बताए जाएंगे ।
- (2) जहां चालू वर्ष या पूर्ववर्ती वर्ष की अवधि अंको में 12 (बारह) माह की नहीं है, वहां रिपोर्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा ।

प्रपत्र- III : निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रपत्र

कंपनी का नाम ----- रिपोर्ट की अवधि -----

(रिपोर्ट को शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों की सांकेतिक सूची)

1. क्षमता उपयोग संबंधी विश्लेषण
2. उत्पादकता/दक्षता संबंधी विश्लेषण
3. उपयोगिता/ऊर्जा मित्वयिता संबंधी विश्लेषण
4. प्रमुख लागत व योगदान संबंधी विश्लेषण
5. उत्पाद/सेवा लाभप्रदता संबंधी विश्लेषण
6. बाजार/ग्राहक लाभप्रदता संबंधी विश्लेषण
7. कार्यशील पूंजी व मालसूची प्रबंधन संबंधी विश्लेषण
8. जनशक्ति विश्लेषण
9. लागत संरचना, नकद प्रवाह और लाभप्रदता पर आई एफ आर एस का प्रभाव
10. प्रबंधन लेखा साधनों का उपयोग

तारीख : _____

के हस्ताक्षर

स्थान: _____

लागत लेखाकार (रों)

सदस्यता संख्या

टिप्पणी :

1. इस प्रपत्र में शामिल क्षेत्र सांकेतिक हैं; इन्हें उद्योग के संकार्य/स्वरूप के आकार/मात्रा तथा प्रकार, प्रबंधन की अपेक्षाओं आदि के अनुसार सम्मिलित/निष्क्रमित किया जा सकता है ।
2. इस रिपोर्ट की बारंबारता अर्थात् अर्धवार्षिक/वार्षिक का निर्धारण कंपनी प्रबंधन द्वारा किया जाएगा ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2011

G.S.R. 430(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 642 read with sub-section (4) of section 233B, and sub-section (1) of section 227 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and in supersession of the Cost Audit Report Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short Title and Commencement-** (1) These rules may be called The Companies (Cost Audit Report) Rules, 2011.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions and Interpretations.** - In these rules, unless otherwise so provided,---
 - (a) "Act" means the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
 - (b) "Cost Auditor" means an auditor appointed to conduct an audit of cost records, under sub-section (2) of section 233B of the Act;
 - (c) "Form-I" means the Form prescribed in these rules for filing cost audit report and other documents with the Central Government in the electronic mode;
 - (d) "Form-II" means the Form of the cost auditor's report and includes auditor's observations and suggestions, and Annexure to the cost audit report;
 - (e) "Form-III" means the Form of the performance appraisal report;
 - (f) "Product" means any tangible or intangible good, material, substance, article, idea, know-how, method, information, object, service, etc. that is the result of human, mechanical, industrial, chemical, or natural act, process, procedure, function, operation, technique, or treatment and is intended for use, consumption, sale, transport, store, delivery or disposal.
 - (g) "Product Group" in relation to tangible products means a group of homogenous and alike products, produced from same raw materials and by using similar or same production process, having similar physical or

chemical characteristics and common unit of measurement, and having same or similar usage or application; and in relation to intangible products means a group of homogenous and alike products or services, produced by using similar or same process or inputs, having similar characteristics and common unit of measurement, and having same or similar usage or application;

- (h) "Report" means cost audit report duly audited and signed by the cost auditor in the prescribed form of cost audit report;
- (i) All other words and expressions used in these rules but not defined, and defined in the Act and rules made under clause (d) of sub-section (1) of section 209 and sub-section (4) of section 233B of the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act or rules, as the case may be.
3. **Application** – (1) These rules shall apply to every company in respect of which an audit of the cost records has been ordered by the Central Government under sub-section (1) of section 233B of the Act.
- (2) Every company as specified in sub-rule (1) shall, within ninety days of the commencement of every financial year, file an application with the Central Government seeking prior approval for appointment of the cost auditor, through electronic mode, in the prescribed form, alongwith the prescribed fee as per the Companies (Fees on Applications) Rules, 1999, and requisite enclosures.
- (3) Every cost auditor appointed under sub-rule (2) shall, within thirty days of receipt of letter of appointment, inform his appointment to the Central Government through electronic mode, in the prescribed form, alongwith the requisite enclosures.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) and (3) above, every company and every cost auditor shall follow the procedure prescribed vide Ministry of Corporate Affairs' General Circular No. 15/2011 [File No. 52/5/CAB-2011] dated April 11, 2011.
4. **Form of the Report** - (1) Every cost auditor, who conducts an audit of the cost records of the company, shall submit the report along with auditor's observations and suggestions, and Annexure to the Central Government in the prescribed form and at the same time forward a copy of such report to the company.
- (2) The cost audit report submitted on or after 1st day of April, 2012, irrespective of the financial year of the company to which it relates, shall be in the form prescribed under these rules.

- (3) Every company as specified in sub-rule (1) of rule 3 shall, keep and maintain cost details, statements, schedules, etc. for each unit and each product or activity comprised in each product group, duly authenticated by at least two Directors of the company and the cost auditor.
- (4) The cost details, statements, schedules, etc. of every company, as specified in sub-rule (3), relating to a period of not less than eight financial years immediately preceding a financial year, or where the company had been in existence for a period less than eight years, in respect of all the preceding years shall be kept in good order:
- (5) Every cost auditor, who submits a report under sub-rule (1), shall also furnish performance appraisal report, duly authenticated by the cost auditor, to the Board/Audit Committee of the company in the prescribed form.
- (6) Every cost auditor, who submits a report under sub-rule (1), shall also give clarifications, if any, required by the Central Government on the cost audit report submitted by him, within thirty days of the receipt of the communication addressed to him calling for such clarifications.
5. **Time limit for submission of Report** – Every cost auditor shall forward his report referred to in sub-rule (1) of rule 4 to the Central Government and to the concerned company within one hundred and eighty days from the close of the company's financial year to which the report relates.
6. **Cost Auditor to be furnished with the cost accounting records etc.** – Without prejudice to the powers and duties the Cost Auditor shall have under sub-section (4) of section 233B of the Act, the company and every officer thereof, including the persons referred to in sub-section (6) of section 209 of the Act, shall make available to the cost auditor, such cost accounting records, cost statements, other books and documents, and Annexure to the Report, duly completed, as would be required for conducting the cost audit, and shall render necessary assistance to the cost auditor so as to enable him to complete the cost audit and submit his report within the time limit specified in rule 5.
7. **Authentication of Annexure to the Cost Audit Report** – The Annexure prescribed with the cost audit report shall be approved by the Board of Directors before submitting the same to the Central Government by the cost auditor. The Annexure, duly audited by the cost auditor, shall also be signed by the Company Secretary and at least one Director on behalf of the company. In the absence of Company Secretary in the company, the same shall be signed by at least two Directors.

8. **Penalties** – (1) If default is made by the cost auditor in complying with the provisions of rule 4 or rule 5, he/she shall be punishable with fine, which may extend to five thousand rupees.
- (2) If a company contravenes any provisions of these rules, the company and every officer thereof who is in default, including the persons referred to in sub-section (6) of section 209 of the Act, shall be punishable as provided under sub-section (2) of section 642 read with sub-sections (5) and (7) of section 209 and sub-section (11) of section 233B of Companies Act, 1956 (1 of 1956).
9. **Savings-** The supersession of the Cost Audit Report Rules, 2001, shall not in any way affect-
- a) any right, obligation or liabilities acquired, accrued or incurred thereunder;
 - b) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any contravention committed thereunder; and
 - c) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid, and; any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if those rules had not been superseded.

[F. No. 52/10/CAB-2010]

B. B. GOYAL, Adviser (Cost)

FORM-I	Form for filing Cost Audit Report and other documents with the Central Government
[Pursuant to section 233B(4), 600(3)(b) of the Companies Act, 1956 and rule 2 of The Companies (Cost Audit Report) Rules, 2011]	

PART I - GENERAL INFORMATION

Note: All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1 (a) *Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number of the company **Pre-filled**

(b) Global location number (GLN) of company

2 (a) *Name of the company

(b) *Address of the registered office or of the principal place of business in India of the company

(c) *E-mail address of the company

3 (a) *Financial year From (DD/MM/YYYY)
To (DD/MM/YYYY)

(b) *Date of Board of directors meeting in which annexure to the cost audit report was approved (DD/MM/YYYY)

4 (a) *State number of Product Groups for which the Cost Audit Report is being submitted

(b) *Details of such Product Groups of the company (Number of rows depending on 4(a) above)

Name of the Product Group	Major Products/Activities Covered
<input type="text"/>	<input type="text"/>

5 (a) *State number of Product Groups/Activities not covered in the Cost Audit Report

(b) *Details of such Product Groups/Activities of the company (Number of rows depending on 5(a) above)

Name of the Product Group	Major Products/Activities Covered
<input type="text"/>	<input type="text"/>

6 **Details of the cost auditor**

(a) *Category of the cost auditor Individual Cost accountant's firm

(b) *Name of the cost auditor or the cost auditor's firm appointed as cost auditor of the company

(c) *Income tax permanent account number of the cost auditor or cost auditor's firm

(d) *Membership number of cost auditor or cost auditor's firm's registration number

(e) Address of the cost auditor or cost auditor's firm

(i) Line 1

(ii) Line 2

(iii) City

(iv) State

(v) Country

(vi) Pin Code

(f) *E-mail ID of the cost auditor or cost auditor's firm

7 (a) *Whether the cost auditor's report has been qualified or has any reservations or contains adverse remarks Yes No

(b) *If yes, cost auditor's qualifications, reservations or adverse remarks as given in the cost auditor's report

8 (a) *Whether the cost auditor's report contain any observations or suggestions Yes No

(b) *If yes, cost auditor's observations / suggestions

2069 92711-4

PART-II

Attachments:

- 1 Cost audit report as per The Companies (Cost Audit Report) Rules, 2011
- 2 Optional attachment(s) - if any

Attach
Attach

List of attachments

Remove attachment

Verification:

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete.

I have been authorised by the Board of directors' resolution number dated (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.

I am authorised to sign and submit this form.

To be digitally signed by:

Managing Director or director or manager or secretary (in case of an Indian company)
or an authorised representative (in case of a foreign company)

Digital Signatures

*Designation

*Director identification number of the director or Managing Director; or Income-tax PAN of the manager or of authorised representative; or Membership number, if applicable or income-tax PAN of the secretary (secretary of a company who is not a member of ICSI may quote his/her income-tax PAN)

Director of the company

Director identification number of the director

Digital Signatures
<input style="width: 100%;" type="text"/>

*Cost Auditor

Digital Signatures
<input style="width: 100%;" type="text"/>

Whether associate or fellow Associate Fellow

Membership number

This e-form has been taken on file maintained by the Central Government through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company and the cost auditor

FORM-II**FORM OF THE COST AUDIT REPORT**

[See rule 2 and rule 6]

I/We,..... having been appointed as Cost Auditor(s) under Section 233B of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) of(mention name of the company) having its registered office at (mention registered office address of the company) (hereinafter referred to as the company), have audited the books of account prescribed under clause (d) of sub-section (1) of section 209 of the said Act, and other relevant records in respect of the (mentions name/s of product group/s) for the period/year (mention the financial year) maintained by the company and report, in addition to my/our observations and suggestions in para 2.

- (i) I/We have/have not obtained all the information and explanations, which to the best of my/our knowledge and belief were necessary for the purpose of this audit.
 - (ii) In my/our opinion, proper cost records, as per Companies (Cost Audit Report) Rules, 2011 prescribed under clause (d) of sub-section (1) of section 209 of the Companies Act, 1956, have/have not been maintained by the company so as to give a true and fair view of the cost of production/operation, cost of sales and margin of the product/activity groups under reference.
 - (iii) In my/our opinion, proper returns adequate for the purpose of the Cost Audit have/have not been received from the branches not visited by me/us.
 - (iv) In my/our opinion and to the best of my/our information, the said books and records give/do not give the information required by the Companies Act, 1956, in the manner so required.
 - (v) In my/our opinion, the said books and records are/are not in conformity with the Cost Accounting Standards issued by The Institute of Cost and Works Accountants of India, to the extent these are found to be relevant and applicable.
 - (vi) In my/our opinion, company has/has not adequate system of internal audit of cost records which to my/our opinion is commensurate to its nature and size of its business.
 - (vii) Detailed unit-wise and product/activity-wise cost statements and schedules thereto in respect of the product groups/activities under reference of the company duly audited and certified by me/us are/are not kept in the company.
 - (viii) As required under the provisions of The Companies (Cost Audit Report) Rules, 2011, I/we have furnished Performance Appraisal Report, to the company, on the prescribed form.
- 2 Observations and suggestions, if any, of the Cost Auditor, relevant to the cost audit.

Dated: this ____ day of _____ 20__
at _____ (mention name of place of
signing this report)

SIGNATURE & SEAL OF THE COST AUDITOR (S)
MEMBERSHIP NUMBER (S)

NOTES:

- (1) Delete words not applicable.
- (2) If as a result of the examination of the books of account, the Cost Auditor desires to point out any material deficiency or give a qualified report, he shall indicate the same against the relevant para (i) to (viii) only in the prescribed form of the Cost Audit Report giving details of discrepancies he has come across.
- (3) The report, suggestions, observations and conclusions given by the Cost Auditor under this paragraph shall be based on verified data, reference to which shall be made here and shall, wherever practicable, be included after the company has been afforded an opportunity to comment on them.

ANNEXURE TO THE COST AUDIT REPORT

[See rule 2 and rule 6]

1. GENERAL INFORMATION:

1. CIN or GLN of the company:
2. Name of the company:
3. Registered office address:
4. Corporate office address:
5. E-mail address of the company:
6. Company's financial year to which the Cost Audit Report relates:
7. Name, address, membership number and e-mail of the Cost Auditor(s):
8. SRN Number and date of Filing of Form 23C with the Central Government:
9. Date of Board of Directors' meeting wherein the Annexure to the cost audit report were approved:
10. No. of Audit Committee meetings held by the company, and attended by the Cost Auditor during the

2. COST ACCOUNTING POLICY:

(1) Briefly describe the cost accounting policy adopted by the Company keeping in view the requirements of the Companies (Cost Accounting Records) Rules, 2011, the Companies (Cost Audit Report) Rules, 2011, cost accounting standards and its adequacy or otherwise to determine correctly the cost of production/operation, cost of sales, sales realization and margin of the product/activity groups under reference separately for each product/activity group. The policy should cover, inter alia, the following areas:

- a) Identification of cost centres/cost objects and cost drivers.
- b) Accounting for material cost including packing materials, stores and spares etc., employee cost, utilities and other identifiable cost components
- c) Accounting for allocation and absorption of overheads
- d) Accounting for depreciation/Amortization
- e) Accounting for by-products/joint-products, scraps, wastage etc.
- f) Accounting for inventory valuation
- g) Methodology for valuation of Inter-Unit/Inter Company and Related Party transactions.
- h) Treatment of a material and non-recurring costs including classification of other non-cost items.
- i) In case the Company has adopted IFRS, variations (if any) in treatment of cost accounting arising out of transition of IFRS Financial Accounting
- j) Justification of cost accounting policy adopted by the Company

(2) In case of any change, if any, made in the cost accounting policy for the product/activity group(s) under reference during the current financial year as compared to the previous financial year.

3) Other relevant details, if any, regarding adequacy or otherwise of the Budgetary Control System, if any, allowed to be disclosed.

3. PRODUCT GROUP DETAILS (for the company as a whole)

Sno.	Name of each Product Group	Names of Products/ Activities included in the Product Group	Net Sales (net of taxes, duties, etc.) (Rs. Lakh)	Covered under Cost Audit
				(Yes/No)
A	Manufactured Product Groups			
	1.			
	2.			
	3.			
	4. etc.			
	Sub-Total (A)			
B	Services Groups			
	1.			
	2.			
	3.			
	4. etc.			
	Sub-Total (B)			
C	Trading Activities (Product Group-wise)			
	1.			
	2.			
	3.			
	4. etc.			
	Sub-Total (C)			
D	Other Incomes			
E	Total Income as per Audited Annual Report (A+B+C+D)			

NOTES:

(1) For manufactured product groups, use the nomenclature as used in the Central Excise Act and Rules, as applicable.

(2) For service groups, use the nomenclature as used in the Finance Act / Central Service Tax Rules, as applicable.

4. QUANTITATIVE INFORMATION (for each product group separately)

Name of the Company			
Name of the Product Group			
Name of the Products covered in the Product Group			
Financial Year	From _____ To _____		
Particulars	Unit	Current Year	Previous Year
1. Available Capacity			
(a) Installed Capacity			
(b) Capacity enhanced during the year, if any			
(c) Capacity available through leasing arrangements, if			
(d) Capacity available through loan license / third parties			
(e) Total available Capacity			
2. Actual Production			
(a) Self manufactured			
(b) Produced under leasing arrangements			
(c) Produced on loan license / by third parties on job work			
(d) Total Production			
4. Production as per Excise Records			
4. Capacity Utilization (in-house)			
5. Stock Purchased for Trading			
(a) Domestic Purchase			
(b) Imports			
(c) Total Purchases			
6. Stock & Other Adjustments			
(a) Change in Stock of Finished Goods			
(b) Self / Captive Consumption (incl. samples etc.)			
(c) Other Quantitative Adjustments, if any (wastage etc.)			
(d) Total Adjustments			
7. Total Available Quantity for Sale [2(e) + 5(c) - 6(d)]			
8. Actual Sales			
(a) Domestic Sales (manufacturing)			
(b) Domestic Sales (trading)			
(c) Export Sale (manufacturing)			
(d) Export Sale (trading)			
(e) Total Quantity Sold			

5. ABRIDGED COST STATEMENT (for each product group separately)							
Sno.	Particulars	Units	Quantity	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)	Rate per Unit (Rs.)	
						Current Year	Previous Year
1	Materials Consumed (specify details)						
	a) Indigenous Purchased						
	b) Imported						
	c) Self Manufactured / Produced						
2	Process Materials/Chemicals (specify)						
3	Utilities (specify details)						
4	Direct Employees Cost						
5	Direct Expenses						
6	Consumable Stores & Spares						
7	Repairs & Maintenance						
8	Quality Control Expenses						
9	Research & Development Expenses						
10	Technical know-how Fee / Royalty, if any						
11	Depreciation/Amortization						
12	Other Production Overheads						
13	Total (1 to 12)						
14	Add/Less: Work-in-Progress Adjustments						
15	Less: Credits for Recoveries, if any						
16	Primary Packing Cost						
17	Cost of Production/Operations (12 + 13 to 17)						
18	Increase/Decrease in Stock of Finished Goods						
19	Less: Self/Captive Consumption (incl. Samples, etc.)						
20	Other Adjustments (if any)						
21	Cost of Production/Operation of Goods/Services Sold (17 + 18 to 20)						
22	Administrative Overheads						
23	Secondary Packing Cost						
24	Selling & Distribution Overheads						
25	Interest & Financing Charges						
26	Cost of Sales (21 + 22 to 25)						
27	Net Sales Realization (Net of Taxes and Duties)						
28	Margin [Profit/(Loss) as per Cost Accounts] (27 - 26)						
	NOTES:						
1.	Separate cost statement shall be prepared for each product/activity group						
2.	The items of cost shown in the Proforma are indicative and the same should be reflected keeping in mind the materiality of the item of cost in the product/activity group.						
3.	The Proforma may be suitably modified to meet the requirement of the industry/product/activity group.						
4.	In case the company follows a pre-determined or standard costing system, the above cost statement should reflect figures at actuals after adjustment of variances, if any.						

6. OPERATING RATIO ANALYSIS (for each product group separately)

Sno.	Particulars	Units	Current Year	Previous Year-1	Previous Year-2
<u>Ratio of Operating Expenses to Cost of Sales</u>					
1	Materials (incl. Process Materials) Cost	%			
2	Utilities Cost	%			
3	Direct Employees Cost	%			
4	Direct Expenses	%			
5	Consumable Stores & Spares	%			
6	Repairs & Maintenance Cost	%			
7	Depreciation / Amortization Cost	%			
8	Packing Cost	%			
9	Other Expenses	%			
10	Stock Adjustments	%			
11	Production Overheads	%			
12	Administrative Overheads	%			
13	Selling & Distribution Overheads	%			
14	Interest & Financing Charges -	%			
15	Total	%			

11. RECONCILIATION OF INDIRECT TAXES (for the company as a whole)

Particulars	Assessable Value	Excise Duty	Service Tax	Cess & Others	VAT
Total Clearances					
Domestic					
Export					
Stock Transfers (Net)					
Others, if any					
Total					
Duties/Taxes Payable					
Duties/Taxes Paid					
Cenvat/VAT Credit Utilised - Inputs					
Cenvat/VAT Credit Utilised - Capital Goods					
Cenvat/VAT Credit Utilised - Input Services					
Cenvat/VAT Credit Utilised - Others					
Total					
Paid through PLA/Cash					
Total Duties/Taxes Paid					
Duties/Taxes Recovered					
Difference between Duties/Taxes Paid and Recovered					
Interest/Penalty/Fines Paid					

SIGNATURE	SIGNATURE	SIGNATURE
NAME	NAME	NAME
COST AUDITOR (S)	COMPANY SECRETARY/DIRECTOR	DIRECTOR
MEMBERSHIP NUMBER (S)	MEMBERSHIP/DIN NUMBER	DIN NUMBER
SEAL	STAMP	STAMP
DATE	DATE	DATE

Notes:

(1) Wherever, there is any significant variation in the current year's figure over the previous year's figure for any item shown under each para of the Annexure to the Cost Audit Report, reasons thereof shall be given by the Cost Auditor.

(2) Wherever, duration of the current year or the previous year is not 12 (twelve) months, same shall be clearly indicated in the Report.